

सं 1378/अवस्था
30/9/14

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-1498/8-3-14-130विधि/14
लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर, 2014

कार्यालय ज्ञाप

राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2014 में निहित प्राविधान के अनुसार विकास प्राधिकरणों की भांति प्रदेश के समस्त विनियमित क्षेत्रों में अवस्थापना विकास निधि (वार्पस) का सृजन किये जाने की अपेक्षा है, जिसका उपयोग नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास/सुदृढीकरण में किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में विनियमित क्षेत्रों के कतिपय स्त्रोंतो से प्राप्त आय के निर्धारित अंश को विनियमित क्षेत्र के सामान्य पूल में न जमा कर निम्नवत एक अलग बैंक खाते में जमा किया जायेगा:-

- (i) भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि का 90 प्रतिशत अवस्थापना विकास निधि हेतु निहित होगा, में जमा किया जायेगा तथा शेष 10 प्रतिशत विनियमित क्षेत्र के सामान्य खाते में जमा किया जायेगा।
- (ii) अवस्थापना विकास निधि में विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राप्त विकास शुल्क का 90 प्रतिशत तथा शेष 10 प्रतिशत विनियमित क्षेत्र के सामान्य खाते में जमा किया जायेगा।
- (iii) अवस्थापना विकास निधि में नगरीय विकास शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि का 90 प्रतिशत तथा शेष 10 प्रतिशत विनियमित क्षेत्र अंश,
- (iv) अवस्थापना विकास निधि में अनाधिकृत निर्माण के शमन से प्राप्त होने वाले शुल्क का 50 प्रतिशत अंश तथा शेष 50 प्रतिशत विनियमित क्षेत्र अंश,
- (v) अवस्थापना विकास निधि में विनियमित क्षेत्र की महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन प्रभाव शुल्क (इम्पेक्ट फीस) के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली धनराशि का 90 प्रतिशत तथा शेष 10 प्रतिशत विनियमित क्षेत्र अंश,

3- अवस्थापना विकास निधि का सृजन विनियमित क्षेत्र के स्तर पर होगा तथा इस खाते में जमा की गयी धनराशि से व्यय निम्न समिति के अनुमोदन से किया जायेगा:-

1	सम्बन्धित मण्डलायुक्त।	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित जिलाधिकारी।	सदस्य
3	अधिशाली अधिकारी, सम्बन्धित स्थानीय निकाय।	सदस्य
4	लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि।	सदस्य
5	जल निगम के प्रतिनिधि।	सदस्य

4- अवस्थापना विकास निधि से प्रत्येक वर्ष 80 प्रतिशत पूंजीगत व्यय तथा 20 प्रतिशत (अधिकतम) राजस्व व्यय किया जा सकेगा।


5- अवस्थापना विकास निधि से किये जाने वाले व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में निहित रीति से विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थापना विकास कार्यों हेतु किये जायेंगे।

सदा कान्त
प्रमुख सचिव

संख्या 1498(1)/8-3-14-130विविध/14 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित स्थानीय निकाय, उ०प्र०।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०, जल निगम।
7. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग, उ०प्र०।
9. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से कि इस शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
संयुक्त सचिव